

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भूअभिलेख
अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र [आर.ए.एस.]

प्रकरण संख्या : 592/2018

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|--|------|---|
| 1. विचित्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी मलकाना कलां तहसील श्रीकरणपुर। | | 1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर |

तारीख रजू:- 21.08.2018

उपस्थित: श्री मोहित गोयल अधिवक्ता प्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

—निर्णय—

दिनांक :08.08.2023

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/131 के मुरब्बा नम्बर 68, 84/18, 84/19, 84/20 की कुल 5.565 हैक्टेयर भूमि बिशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह जाति रायसिख साकिन फरीदसर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त रकबा ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह को आवटन हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/131 के मुरब्बा नम्बर 68, 84/18, 84/19, 84/20 की कुल 5.565 हैक्टेयर भूमि में बिशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह के स्थान पर ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

उक्त प्रकरण के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्राक 2058 दिनांक 09.05.2018 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 में दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 2 यू की जमाबन्दी सम्वत 2015 ता 2018 के खाता संख्या 61-62 में मुरब्बा नम्बर 65, 98/33 की 14 बीघा नहरी, 8 बीघा बारानी कुल 22 बीघा भूमि बिशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह रिफ्यूजी अलाटी दर्ज है। उक्त जमाबन्दी खाते में नोट मुताबिक हुक्मन पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर क्रमांक 3594 दिनांक 16.05.1969 के द्वारा चक 2 यू मुरब्बा नम्बर 65 के 14 बीघा नहरी, 8 बीघा बारानी ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह बतौर क्लेमेंट फरमाया गया नोट अंकित है। मिसल बन्दोबस्त में ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह का गत जमाबन्दी सम्वत 2015 ता 2018 के नोट अनुसार भूमि नाम दर्ज नहीं है। जो कि मिसल बन्दोबस्त से आज तक नाम बिशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह चला आ रहा है। मौके पर उक्त भूमि को बतौर इकरारनामा ईशर सिंह द्वारा प्रार्थीगण को रकबा बेचान किया गया है एवं प्रार्थीगण की मौके पर काबिज है। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहित गोयल उपस्थित आए।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/131 की प्रति, राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

2015-2018 के खाता संख्या 61-62 की प्रमाणित प्रति, राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 131/127 की प्रति, जमा चालान क्रमांक 2344 दिनांक 01.08.1985 प्रति, ईकरारनामा दिनांक 10.10.1988 की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है। प्रार्थी के द्वारा 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/131 में अंकित नाम बिशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह के स्थान पर ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 2 यू की जमाबंदी सम्वत 2015 ता 2018 के खाता संख्या 61-62 में मुरब्बा नम्बर 65, 98/33 की 14 बीघा नहरी, 8 बीघा बारानी कुल 22 बीघा भूमि बिशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह रिफ्यूजी अलाटी दर्ज है। उक्त जमाबंदी खाते में नोट गुताबिक हुकूमन पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर क्रमांक 3594 दिनांक 16.05.1969 के द्वारा चक 2 यू मुरब्बा नम्बर 65 के 14 बीघा नहरी, 8 बीघा बारानी ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह बतौर क्लेमेंट फरमाया गया नोट अंकित है। मिसल बन्दोबस्त में ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह का गत जमाबंदी सम्वत 2015 ता 2018 के नोट अनुसार भूमि नाम दर्ज नहीं है। जो कि मिसल बन्दोबस्त से आज तक नाम बिशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह चला आ रहा है। मौके पर उक्त भूमि को बतौर इकरारनामा ईशर सिंह द्वारा प्रार्थीगण को रकबा बेचान किया गया है एवं प्रार्थीगण की मौके पर काबिज है। श्रीमान् प्रबन्ध अधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक 3594 दिनांक 16.05.1969 के अनुसार चक 2 यू के मुरब्बा नम्बर 65 के 14 बीघा नहरी व 8 बीघा बारानी कुल 22 बीघा रकबा ईशर सिंह वल्द सुन्दर सिंह को बतौर क्लेमेंट अलॉट है। इसलिए कागजात पटवार में अमलदरामद किये जाने बाबत आदेशित किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र प्रार्थी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिंसंगत समझते हैं।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956, भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/131 में अंकित नाम बिशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह के स्थान पर ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस खाता के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आशय का तहसीलदार श्रीकरणपुर के नाम जारी हो। पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ़्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर


क्रमांक :-रीडर/2023/435
तहसीलदार (राजस्व),
श्रीकरणपुर।

दिनांक :-08.08.2023

विषय:- प्रकरण संख्या 592/2018 अनवान वचित्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2023 संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण मे पारित निर्णय दिनांक 08.08.2023 के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 2 यू, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता संख्या 153/131 में अंकित नाम विशन सिंह पुत्र दरबारा सिंह के स्थान पर ईशर सिंह पुत्र सुन्दर सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन बदस्तुर रहेगे। उपर्यक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।




{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर